

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव
पत्रांक १७५७ / १४-१ उन्नाव, दिनांक , १९-१-२०२४

सेवा में

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ।

प्रस्ताव सं०-

विषय:-

FP/UP/Trans/21539/2016

साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रान्समिशन लि. द्वारा 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हेतु संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 2388 वृक्षों के पातन कन्नौज में प्रभावित 0.32 हेतु संरक्षित वनभूमि के के गैरवानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हेतु संरक्षित एवं 3.5583 हेतु आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 113 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.6813 हेतु संरक्षित एवं 8.7003 हेतु आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 1502 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 15.6118 हेतु वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 4011 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

महाप्रबन्धक-पारेषण, साउथ ईस्ट यूपी, ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, 409 चौथी मंजिल, शालीमार टाइटेनियम, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के कार्यालय की पत्र सं०-SEUPPTCL/LKO/24/274 DATE- 12-04-2024

महोदया,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में महाप्रबन्धक-पारेषण, साउथ ईस्ट यूपी, ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, 409 चौथी मंजिल, शालीमार टाइटेनियम, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया था कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव के अन्तर्गत 765 के०वी० एकल मैनपुरी-उन्नाव पारेषण लाइन के मार्ग में कटरी मरौदा वन ब्लॉक में पूर्व में संयुक्त निरीक्षण के रागय गंगा नदी के जलभराव के कारण त्रुटिवश कुछ वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण शेष रह गया था। जिसकी वजह से प्रभावित वनभूमि में आंशिक परिवर्तन की सम्भावना है। अतः कटरी मरौदा वनब्लाक के अन्तर्गत आने वाले उक्त पारेषण लाइन के मार्ग का वन विभाग द्वारा पुनः संयुक्त सर्वेक्षण याचक विभाग द्वारा चाहा गया था। उक्त के क्रम में क्षेत्रीय वनाधिकारी, उन्नाव से शेष भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण उपरान्त क्षेत्रीय वनाधिकारी, उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना में प्रभावित कटरी मरौदा वनब्लाक की 3.008 हेतु आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी तथा उक्त प्रभावित वनभूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। अर्थात उन्नाव वन प्रभाग में 8.7003 हेतु आरक्षित तथा 0.6813 हेतु संरक्षित कुल 9.3816 हेतु वनभूमि तथा 1502 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसे ऑनलाइन कर आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीया

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

पत्रांक	/ समिनांक
प्रतिलिपि:-	मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:-	महाप्रबन्धक (पारेषण), साउथ ईस्ट, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, लेवाना साइबर हाइट्स विलिंग, पहली मंजिल, ऑफिस स्पेस-116, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव